न्यायालय – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

अपील सं. 65/2015 LR Act

1–सीताराम पुत्र सुभाषचन्द जाति बिश्नोई निवासी 1डी छोटी हाल निवासी चक 272 आरडी (फूलदेसर) तहसीलदार लूणकरनसर जिला बीकानेर ।

2– कमला पुत्री सुभाषचन्द (3) श्रीमती हरदेवी पत्नी सुभाषचन्द जाति बिश्नोई निवासी 1डी छोटी हाल निवासी चक 272 आरडी (फूलदेसर) तहसीलदार लूणकरनसर जिला बीकानेर

बनाम

1– शिव प्रताप पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई निवासी गांव 1डी छोटी (साधुवाली) तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल चक 6 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर वगैरह (5)

16.9.19 आज यह पत्रावली अपीलान्ट सीताराम वगैरह जरिये अभिभाषक फूसाराम जाखड़ के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गयी । अभिभाषक अपीलान्ट श्री फूसाराम एवम् नरसाराम उपस्थित । अभिभाषक अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो चुका है । अपीलान्ट्स अब यह अपील आगे चलाना नहीं चाहते हैं । अतः अपील जरिये विड्रा खारिज फरमाई जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । यह द्वितीय अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 11–6–2015 के विरुध्द प्रस्तुत होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है । अपीलान्टान सीताराम वगैरह इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा जरिये विड्रा खारिज करवाना चाहते हैं । अतः यह अपील अपीलान्ट जरिये विड्रावल (Withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ उपखण्ड न्यायालय, श्रीगंगानगर का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर